## न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरणसर

**बअदालत – भागीरथ शाख, आर. ए. एस.**

**राजस्व वाद संख्या – 2019/139**

1. दासराम पुत्र राणाराम जाति वाल्मिकि (मेहतर) निवासी महाजन तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर – **वादी**

**बनाम**

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) लूनकरणसर –**प्रतिवादी**

**दावा बाबत घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ती**
**दावा अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट एवं धारा 136 एल आर एक्ट**

**उपस्थित –**

1. श्री नेतराम सियाग वकील वादी
2. पैरोकार राज

**–:निर्णय:–**

दिनांकः–02.03.2021

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट एवं 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि वादी के नाम से ग्राम रोही महाजन में खसरा नम्बर 1458 में 6.32 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में विधिवत दर्ज रिकार्ड हैं। वादगत भूमि जरिये बैनामा खरीद की हुई हैं। बैनामा में वादी का नाम गुरदास दर्ज करवा दिया था किन्तु वादी का वास्तिविक नाम दासराम हैं। गुरदास व दासराम एक ही व्यक्ति हैं। अलग–अलग नाम होने के कारण अनेकों परेशानियों का सामना करना पड रहा हैं। जिससे वादी का नाम गुरदास के स्थान पर वादगत भूमि में दासराम की घोषणा करवाने के हकदार हैं। अलग–अलग नाम होने के कारण वादी किसी सरकारी सुविधा को प्राप्त नहीं कर सकता सरकारी योजना से वंचित होना पड रहा हैं। दिनांक 20.12.2019 को वादी द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्ती की जावे तहसीलदार महोदय द्वारा कहा गया कि मैं आपका नाम शुद्ध नहीं कर सकती ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 11:40:01 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट इन्कार करने पर वाद कारण हासिल हुआ। प्रतिवादी स्टेट ऑफ राजस्थान लेण्ड हॉल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया हैं। अतः वादी वकील द्वारा निवेदन किया गया कि दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी घोषणात्मक डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी इस बिनाय की जारी फरमाई जावें कि वादगत खातेदारी कृषि भूमि वादी के नाम से ग्राम रोही महाजन में खसरा नम्बर 1458 में 6.32 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में विधिवत दर्ज रिकार्ड हैं। जिसमें वादी का नाम गुरदास के स्थान पर दासराम नाम की घोषणा करवाने का हकदार हैं।

वाद दर्ज कर पैरोकार राज जरिए तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर को जरिए नोटिस तलब किया गया। पैराकार राज ने जवाब दावा पेश कर दावा में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए वादी के नाम की दुरूस्ती की जाती है तो सरकार को किसी प्रकार से हानि नहीं हैं जवाब पेश किया हैं।

वकीलवादी ने अपनी बहस में दावा मीमो के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी के नाम से ग्राम रोही महाजन में खसरा नम्बर 1458 में 6.32 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में विधिवत दर्ज रिकार्ड हैं। वादगत भूमि जरिये बैनामा खरीद की हुई हैं। बैनामा में वादी का नाम गुरदास दर्ज करवा दिया था किन्तु वादी का वास्तिविक नाम दासराम हैं। गुरदास व दासराम एक ही व्यक्ति हैं। अलग–अलग नाम होने के कारण अनेकों परेशानियों का सामना करना पड रहा हैं। जिससे वादी का नाम गुरदास के स्थान पर वादगत भूमि में रामदास दर्ज करवाने की घोषणा करवाने के हकदार हैं। अलग–अलग नाम होने के कारण वादी किसी सरकारी सुविधा को प्राप्त नहीं कर सकता सरकारी सुविधा से वंचित होना पड़ रहा हैं। वादगत भूमि में वादी का गुरदास दर्ज है, उसके स्थान पर दासराम किया जाना उचित हैं। जिसके पक्ष में पत्रावली में शामिल दस्तावेज पटवारी हल्का महाजन रिपोर्ट , छाया प्रति [illegible] बेक पास बुक , बेनामा , निर्वाचन पहचान पत्र , भामाशाह कार्ड , [illegible] कार्ड , आधार कार्ड, राशन कार्ड , मूल निवासी प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत महाजन प्रमाणीकरण एवं शपथ पत्र दासराम एवं दासराम के पक्ष में भंवर सिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी महाजन , संजय पुत्र रेवन्तराम जाति ब्राहम्ण निवासी महाजन द्वारा शपथ पत्र पेश किये गए। सभी प्रस्तुत दस्तावेजात में वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 11:40:01 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

का नाम दासराम दर्ज है। इस प्रकार अपनी बहस समाप्त करते हुए वकील वादी ने प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादी के नाम गुरदास के स्थान पर दासराम  दुरूस्ती की घोषणा किए जाने हेतु निवेदन किया है।

हमने उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज पटवारी हल्का महाजन रिपोर्ट , छाया प्रति एसबीआई बैक पास बुक , बेनामा , निर्वाचन पहचान पत्र , भामाशाह कार्ड दासराम, पेन कार्ड , आधार कार्ड, राशन कार्ड , मूल निवासी प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत महाजन प्रमाणीकरण एवं शपथ पत्र दासराम एवं दासराम के पक्ष में भंवर सिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी महाजन , संजय पुत्र रेवन्तराम जाति ब्राहम्ण निवासी महाजन के आधार पर स्पष्ट होता है कि गुरदास और दासराम एक ही व्यक्ति है। शपथ पत्र स्वंय वादी अनुसार वादगत भूमि वादी की उक्त भूमि जरिये बैयनामा खरीदशुदा है। रजिस्ट्री में दासराम नाम नहीं लिखा जाकर गुरदास लिख दिया गया है। उसी आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अशुद्ध नाम चला आ रहा है। जिसकी दुरस्ती हेतु निवेदन किया है। प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार दासराम व गुरदास एक ही व्यक्ति है। इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर दासराम व गुरदास के एक ही व्यक्ति होने की पुष्टि होती है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि वादगत भूमि रोही महाजन में खसरा नम्बर 1458 में 6.32 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि को दुरूस्त कर गुरदास पुत्र राणाराम के स्थान पर दासराम पुत्र राणाराम को खातेदार घोषित किया जाता है । पर्चा डिक्री जारी हो। चुंकि उक्त नाम दासराम जरिये विक्रय पत्र खरीद शुद्धा भूमि में अंकित होने के कारण रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 35 ए के तहत देय निर्धारित फीस बाबत 500 रूपये का नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प वादी द्वारा न्यायालय हाजा में पेश किया जा चुका है। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार लूनकरणसर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 11:40:01 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ शाख)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर

# डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर**

**ब इजलास : भागीरथ शाख आरएएस**

**दासराम बनाम स्टेट**

**दावा अंतर्गत धारा 88 आरटीए, धारा 136 एलआरएक्ट**

**मुकदमा नम्बर :**
**139 / 2019**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी **वकील वादी श्री नेतराम सियाग,** मिनजानिब मुदई पैरोकारराज **राज्य की ओर से** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि मौजा रोही महाजन में खसरा नम्बर 1458 में 6.32 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि को दुरूस्त कर गुरदास पुत्र राणाराम के स्थान पर दासराम पुत्र राणाराम को खातेदार घोषणा की जाती हैं। चुंकि उक्त नाम दासराम जरिये विक्रय पत्र खरीद शुद्धा भूमि में अंकित होने के कारण रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 35 ए के तहत देय निर्धारित फीस बाबत 500 रूपये का नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प वादी द्वारा न्यायालय हाजा में पेश किया जा चुका है। तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर डिक्री की पालनार्थ भिजवावें।

नीज ...............................- ........................मुबलिक .................- ......................बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ..................... -........................... फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ................-......................... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 02.03.2021 को डिक्री जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 11:40:01 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ शाख)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर